विविध **बैंक प्रकरण संख्या 87/2020(GCMS : 2020/00240) एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसेरर्स इंडिया (लि.) रजि. ऑफिस 19 ए धूलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर–302001 स्थानीय ऑफिस रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी सुमित अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर बनाम 1. अनिल सोनी पुत्र श्री वेदप्रकाश सोनी 2. श्रीमती पायल पत्नी श्री अनिल कुमार 3. श्रीमती मैना देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश निवासी 44, 8 पीएसडीबी, 2 आरकेएमए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर 4. लालचंद पुत्र श्री रामरख निवासी 42, वार्ड नं. 15 गांव रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर**

05.04.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री संजय भाटिया, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण **अनिल सोनी, पायल, मैना देवी और लालचंद** द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी अनिल सोनी द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति दुकान संख्या 8 (पैमाईशी 16.66 वर्गगज) शॉपिंग सैंटर रावला, नजदीक बस स्टैण्ड, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 23.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसरस इंडिया लि. के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण **अनिल सोनी, पायल, मैना देवी और लालचंद** के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अप्रार्थी अनिल सोनी द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति दुकान संख्या 8 (पैमाईशी 16.66 वर्गगज) शॉपिंग सैंटर रावला, नजदीक बस स्टैण्ड, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का नोट (नॉटप्रैस) भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसरस इंडिया लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 23.10.2020 को खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर